

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – विकास महतो

बनाम

वाद सं0 03/2017

द्वितीय पक्ष – सुमित केशरी

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित:- थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 01/2017 दिनांक 20/01/2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) विकास महतो उम्र 34 वर्ष पिता महाबीर महतो (2) मेघनाथ कुम्हार उम्र 46 वर्ष पिता स्व० हरि कुम्हार (3) श्रीराम कुमार उम्र 65 वर्ष पिता स्व० सीताराम कुम्हार सभ ग्राम गांधीनगर थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सुमित केशरी उम्र 35 वर्ष पिता स्व० जगरनाथ केशरी ग्राम पालकोट (2) विजय महतो उम्र 32 वर्ष पिता स्व० बहुरा महतो ग्राम गांधी नगर । थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच भूमि को विवाद को लेकर वाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक...05/01/17 को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	